न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–313/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/313)

1. श्रीमती पानी बेवा दयाल पुत्री शिवराम (फौत)
   1/1 श्रवणलाल पुत्र श्री दयाल जाति रेगर, निवासी जमालपुरा गली नम्बर जीरो ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती रूकमा बेवा प्रतापलाल पुत्री शिवराम (फौत)
   2/1 महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री प्रतापलाल जाति रेगर निवासी गोपाल जी मौहल्ला गली नम्बर 4 रेगरान बडा बास ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. मोहन पुत्र श्री हजारी
2. मु0 शांति बेवा हजारी
3. जेठमल पुत्र नीम्बाराम
   समस्त जाति रेगर, निवासीगण गली नम्बर जीरो, जमालपुरा ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. श्रीमती संतरा पत्नी प्रहलाद जाति भांबी, निवासी ग्राम फतेहगढ सल्ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5. धूलाराम पुत्र श्री लालूराम जाति मेघवाल निवासी राजमहल होटल के पीछे सेंदडा ब्यावर जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
7. उप–पंजीयक तहसील कार्यालय ब्यावर जिला अजमेर।
8. राज्य सरकार जरिए जिलाधीश महोदय अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर विरूद्ध आदेश दिनांक 19.09.2022 राजस्व वाद संख्या 37/2022.

उपस्थितः–

1. श्री सुभाष निम्बावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ज्ञानचंद गादिया, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4,5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 6 से 8
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 14.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 37/2022 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या–1 व प्रार्थी संख्या–2 जिनके वारिसान 1/1 व 2/1 है, ने एक राजस्व वाद मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया। इसी वाद के साथ जो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया था जिसमें न्यायालय से यह प्रार्थना की गई थी कि मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे जिसे न्यायालय ने दिनांक 19.9.2022 को खारिज कर दिया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 37/2022 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखा जावे जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को भविष्य में वाद की बाहुलता का सामना ना करना पडे परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 को खारिज कर दिया। वादग्रस्त आराजी भूमि को वाद के निस्तारण तक यथावत रखा जाना चाहिए क्योंकि अगर वादग्रस्त आराजी, भूमि को यथावत नहीं रखा जाएगा तो जो वर्तमान प्रतिवादीगण वह उसे अनयत्र हस्तांतरित कर देगे जिससे प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को न्यायालय किसी भी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर वादग्रस्त आराजी, भूमि को अन्यत्र हस्तांतरित कर दिया जाएगा तो जो क्रेता होगा वह वाद में पक्षकार नहीं होगा चूंकि वह वाद में पक्षकार नहीं होगा तो न्यायालय का कोई आदेश उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा इसलिए जो विधिक आदेश है उसकी सार्थकता समाप्त हो जाएगी। न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। नॉनस्पीकिंग आदेश कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार मान्य नहीं है क्योंकि न्यायालय को कोई आदेश देते समय उसका बिंदुवार विवेचन करना चाहिए जो कि उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा नहीं किया गया। प्रार्थीगण वर्तमान जमाबंदी में रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है इसलिए वाद पत्र एवं प्रार्थन पत्र के साथ प्रार्थीगण ने अपना पारिवारिक सजरा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं कर केवल इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण रिकार्डेड खातेदार नहीं है जबकि जो वाद पत्र प्रस्तुत किया था वह इसलिए था कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण जरिए घोषणात्मक आज्ञप्ति इस आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय तीनों बिंदु जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

स्थाई निषेधाज्ञा दिए जाने के लिए साबित किया जाना आवश्यक है उनका विधिवत विवेचन ना किया जाकर केवल मात्र यह कहा गया है कि प्रार्थीगण साबित करने में कासिर रहा है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 37/2022 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– (सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया) विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य निर्णय दिनांक 11.08.2020.

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात श्री भोला उर्फ भोलू पुत्र श्री श्योराम उर्फ शिवराम ने दिनांक 13.11.1969 को ही जवाब देइन्दा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति/ पिता स्व श्री हजारी को बेचानकर बरोज खरीद को ही जवाब देइन्दा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति/पिता को वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा संभला दिया था एंव आज लगभग 43 वर्षों से जवाब देहन्दा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी कृषि भूमि है एवं वर्तमान में भी वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में जवाब देइन्दा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम अंकन दरामद है व राजस्व लगान भी लगातार 43 वर्षो से जवाब देइन्दा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति/पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात जवाब देइन्दा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सरकार को भुगतान करते चले आ रहे हैं एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानानुसार भी प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से किसी प्रकार का कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं वादग्रस्त आराजीयात मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी कृषि भूमि है जिसका उपयोग उपभोग मात्र अप्रार्थी संख्या लगातार 43 वर्षो से करते चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा व उपयोग उपभोग वादग्रस्त आराजीयात पर नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात को जरिए रजिस्ट्रर्ड बेचाननामा दिनांक 13.11.1969 को खरीदकर खातेदारी अंकन दर्ज करवाया है जो वर्तमान में भी जवाब देइन्दा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड में अंकन दर्ज चले आ रहे है एवं शेष कथन जवाब देइन्दा अप्रार्थी की जानकारी के अभाव में प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे। वादग्रस्त आराजीयात दिनांक 13.11.1969 से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता/पति श्री हजारी ने काबिज होकर काश्त करता चला आया एवं स्व0 श्री हजारी की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पर जवाब देइन्दा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त आज दिनांक तक करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण का कथन कि उक्त की जानकारी दिनांक 31.5.2012 को हो कत्तई अस्वीकार है चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण कभी भी नहीं आए एवं प्रार्थीगण व्यर्थ में स्व0 श्री श्योराम/शिवराम की पुत्रियां बनकर आई है जो कि एक अजनबी व्यक्ति है एवं अजनबी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ न्यायालय के समक्ष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

सारहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आर0एल0डब्ल्यू 1997 पेज 326, 2008(1) डी0एन0जे (राजस्थान) 368, 2008 (1) डी0एन0जे (राजस्थान) 206.

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.9.2022 को खारिज करते हुए निर्णय में कथन किए कि *" प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है उसमें बहनों का नाम होने तथा मौके पर कब्जा होने संबंधी कोई तथ्य/दस्तावेज नहीं है तथा बिना कब्जे व टीनेन्ट के अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। हालांकि प्रकरण का मूल वाद में गुणावगुण पर साक्ष्य व सुनवाई के आधार पर निस्तारण किया जाना है परंतु अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है तथा सहुलियत का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थी साबित करने से कासिर रहे है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।"*

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा उक्त न्यायिक नजीरों एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीन बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी द्वारा अपने समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजात ना तो न्यायालय हाजा के समक्ष व ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त आराजीयात पर वादी का कब्जा है या वह खातेदार काश्तकार है। बिना कब्जे व टीनेन्ट के अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनना पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन :– चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति :– चूंकि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वादीगण कब्जे बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके व प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत किस प्रकार क्षति कारित हुई है, इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु वर्तमान रेस्पोडेंट के पक्ष में सिद्ध होते है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक नजीरों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 37/2022 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

14/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner